

## फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री देवीसिंह पिता श्री अमरसिंह जी सोलंकी नि. पबराना पो. टीकर वाया - चारभुजा रोड़ जिला राजसमन्द

- अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट जिला राजसमन्द

- प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा-अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 29/2023

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p><b>दिनांक 26.06.2023</b></p> <p>पत्रावली पेश हुई । अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया ।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से जरिये पृष्ठाकंन पत्रांक क्रमांक विविध /55 दिनांक 07.06.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थना पत्र बिन्दु संख्या 1 अनुसार चाही गई वांछित सूचना पटवारी हल्का खाखरमाला द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय आमेट के प्रकरण संख्या 683/18 की जांच रिपोर्ट, मौका पर्चा बनाने हेतु जारी किये गये आदेश व रजिस्टर से संबंधित पेज की प्रमाणित प्रतियां लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से जरिये पृष्ठाकंन पत्रांक क्रमांक विविध /55 दिनांक 07.06.2023 द्वारा भिजवा दी गई है।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, आमेट की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट को भिजवायी जावे।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



लोक सूचना अपीलीय अधिकारी  
(जिला कलक्टर) राजसमंद